"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी 2014—माघ 1, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्रमांक 01/चार/रा. स. चुनाव/2014/7679.— राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2014 हेतु लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 12 के तहत माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी, 2014 तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-318/CS/2014 (1), दिनांक 21 जनवरी, 2014 एवं अधिसूचना संख्या-318/CS/2014 (2), दिनांक 21 जनवरी, 2014 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(निधि छिब्बर)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014 —माघ 1, 1935 (शक)

अधिसूचना

का.आ. ____(अ).- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :--

सारणी

क्रम सं0 (1)	राज्य का नाम (2)	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या (3)	निवृति की तारीख (4)
1.	महाराष्ट्र	7	02-04-2014
2.	ओडिशा	4	02-04-2014
3.	तमिलनाडु	6	02-04-2014
4	पश्चिमी बंगाल	5	02-04-2014
5.	आंध्र प्रदेश	6	09-04-2014
6.	असम	3	09-04-2014
7.	बिहार	5	09-04-2014
8	छत्तीसगढ़	2	09-04-2014
9.	गुजरात	4	09-04-2014
10	हरियाणा	2	09-04-2014
11.	हिमाचल प्रदेश	1	09-04-2014
12.	झारखंड	2	09-04-2014
13.	मध्य प्रदेश	3	09-04-2014
14	मणिपुर	1	09-04-2014
15.	राजस्थान	3	09-04-2014
16.	मेघालय	1	12-04-2014

[फा0सं0 एच-11024(1)/2014-वि.II]

हस्ता./-
(पी. के. मल्होत्रा)
सचिव, भारत सरकार.

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 21st January, 2014— 1 Magha, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

S.O (E).—In pursuance of section 12 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl.No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of Retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Maharashtra	7	02-04-2014
2.	Odisha	4	02-04-2014
3.	Tamil Nadu	6	02-04-2014
4.	West Bengal	5	02-04-2014
5.	Andhra Pradesh	6	09-04-2014
6.	Assam	3	09-04-2014
7.	Bihar	5	09-04-2014
8.	Chhattisgarh	2	09-04-2014
9.	Gujarat	4	09-04-2014
10.	Haryana	2	09-04-2014
11.	Himachal Pradesh	1	09-04-2014
12.	Jharkhand	2	09-04-2014
13.	Madhya Pradesh	3	09-04-2014
14.	Manipur	1	09-04-2014
15.	Rajasthan	3	09-04-2014
16.	Meghalaya	1	12-04-2014

[F.No.H.11024 (1)/2014-Leg.II]

Sd/-

(P. K. Malhotra)
Secretary to the Government of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 2014 —— माघ 01, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं0 318/रा0 स0/2014 (1) :– यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 21 जनवरी , 2014 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें ;

सारणी

राज्य का नाम	सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
1) महाराष्ट्र	7
2) ओडिशा	4
3) तमिलनाडु	6
4) पश्चिम बंगाल	5
5) आंध्र प्रदेश	6
6) असम	3
7) बिहार	5
8) छत्तीसगढ़	2
9) गुजरात	4
10) हरियाणा	2
11) हिमाचल प्रदेश	1
12) झारखण्ड	2
13) मध्य प्रदेश	3
14) मणिपुर	1
15) राजस्थान	3
16) मेघालय	1

अतः ,अब, उक्त अधिनियम की, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :–

(अ) उपर्युक्त राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में :–

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख –	**28 जनवरी, 2014 (मंगलवार)**
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख –	**29 जनवरी, 2014 (बुधवार)**
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख–	**31 जनवरी, 2014 (शुक्रवार)**
(घ) वह तारीख , जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	**07 फरवरी, 2014 (शुक्रवार)**
(ड़) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	**10 फरवरी, 2014 (सोमवार)**

नियत करता है; और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाहन् से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, ऊपर उल्लिखित सभी राज्यों में मतदान होगा ।

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 21st January, 2014 —Magha 01, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No.318/CS/2014(1): - Whereas, the President of Indi[illegible], by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 21st **January, 2014** been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in columns (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE;

TABLE

Name of the States	No. of members
(1)	(2)
1) Maharashtra	7
2) Odisha	4
3) Tamil Nadu	6
4) West Bengal	5
5) Andhra Pradesh	6
6) Assam	3
7) Bihar	5
8) Chhattisgarh	2
9) Gujarat	4
10) Haryana	2
11) Himachal Pradesh	1
12) Jharkhand	2
13) Madhya Pradesh	3
14) Manipur	1
15) Rajasthan	3
16) Meghalaya	1

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby –

(A) appoints, with respect to the said election in each of the above mentioned States; -

(a) **the 28th January, 2014 (Tuesday), as the last date for making nominations;**

(b) **the 29th January, 2014 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;**

(c) **the 31st January, 2014 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;**

(d) **the 7th February, 2014 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and**

(e) **the 10th February, 2014 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and**

(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States, on the date specified above, for the election.

By Order,
Sd/-
(K. N. Bhar)
Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 2014 — माघ 01, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं0 318/रा0 स0/2014 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में भारत के राजपत्र में 21 जनवरी , 2014 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, एतदद्वारा :-

(i) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को **रिटर्निंग आफिसर** पदनामित करता है ; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , रिटर्निंग आफिसर के कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए **सहायक रिटर्निंग आफिसर** नियुक्त करता है ।

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप मे पदनामित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1) आंध्र प्रदेश	सचिव, राज्य विधान मंडल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विधान मंडल सचिवालय	श्री के. सत्यनारायण राव, उप सचिव, राज्य विधान मंडल, आंध्र प्रदेश विधान मंडल सचिवालय
2) असम	प्रमुख सचिव, असम विधान सभा सचिवालय	श्री प्रणब कुमार दास, अपर सचिव, असम विधान सभा सचिवालय
3) बिहार	प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा
4) छत्तीसगढ़	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ विधान सभा	श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े, अपर सचिव, छत्तीसगढ विधान सभा
5) गुजरात	सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय	उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
6) हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	श्री राजिन्दर कुमार नंदाल, अपर सचिव, हरियाणा विधान सभा
7) हिमाचल प्रदेश	सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री लाल सिंह कंवर, अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश: विधान सभा
8) झारखण्ड	प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा	श्री विजय प्रसाद कुमार, संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा
9) मध्य प्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	श्री ए. पी. सिंह, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा
10) महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	(1) श्री सुभाषचन्द्र मयकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय (2) श्री संतोष परादकर, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

11) मणिपुर	सचिव, मणिपुर विधान सभा	(1) श्रीमती एम. रमानी देवी, संयुक्त सचिव, मणिपुर विधान सभा (2) श्री रोहित सपम, उप सचिव, मणिपुर विधान सभा
12) मेघालय	सचिव, मेघालय विधान सभा	श्री टी. डी. संगमा, संयुक्त सचिव, मेघालय विधान सभा
13) ओडिशा	सचिव, ओडिशा विधान सभा सचिवालय	श्री भवानी संकर सेनापति, संयुक्त सचिव, उडिशा विधान सभा सचिवालय
14) राजस्थान	विशेष सचिव, राजस्थान विधान सभा	(1) उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा (2) उप सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा
15) तमिलनाडु	सचिव, तमिलनाडु विधान सभा	श्री ए0 वीराराजेंद्रन, उप सचिव, तमिलनाडु विधान सभा
16) पश्चिम बंगाल	सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्री दुर्गाप्रसाद भट्टाचर्जी, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 21st. January, 2014 —Magha 01, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No.318/CS/2014 (2): - In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each State, specified in column (1) of the TABLE below, hereby: –

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State, in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 21st January, 2014 :-

TABLE

STATE	Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh Legislature Secretariat	Shri K Satyanarayana Rao, Deputy Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh Legislature Secretariat
Assam	Principal Secretary, Assam Legislative Assembly Secretariat	Shri Pranab Kumar Das, Additional Secretary, Assam Legislative Assembly Secretariat
Bihar	Secretary-in-charge, Bihar Legislative Assembly	Shri Narendra Kumar Singh, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly
Chhattisgarh	Principal Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Shri Chandra Shekhar Gangrade, Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
Gujarat	Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Deputy Secretary , Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha.	Shri Rajinder Kumar Nandal, Additional Secretary, Haryana Vidhan Sabha

Himachal Pradesh	Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha.	Shri Lal Singh Kanwar, Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha.
Jharkhand	Secretary-in-charge, Jharkhand Vidhan Sabha	Shri Vijay Prasad Kumar, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha
Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Shri A.P. Singh, Additional Secretary Madhya Pradesh Vidhan Sabha
Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.	1. Shri Subhashchandra Mayekar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Shri Santosh Paradkar, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Manipur	Secretary, Manipur Legislative Assembly	1. Smt. M. Ramani Devi, Joint Secretary, Manipur Legislative Assembly 2. Shri Rohit Sapam, Deputy Secretary, Manipur Legislative Assembly
Meghalaya	Secretary, Meghalaya Legislative Assembly	Shri T.D. Sangma, Joint Secretary, Meghalaya Legislative Assembly
Odisha	Secretary, Odisha Legislative Assembly Secretarait	Shri Bhawani Sankar Senapati, Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly Secretariat
Rajasthan	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	1. Deputy Secretary (Administration), Rajasthan Legislative Assembly 2. Deputy Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly
Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly	Shri A. Veerarajendran, Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly
West Bengal	Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Shri Durgaprosad Bhattacharjee, Joint Secretary, West Bengal Legislative Assembly

By Order,
Sd/-
(K. N. Bhar)
Secretary to the
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.